न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 134/2014
जीसीएमएस नम्बर 2014/00201

निर्णय दिनांक 05.03.2025

1. औंकारदास 2. तिलोकदास पुत्रगण भीखदास जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. शंकरलाल
2. राजकुमार
3. ऊंकार
4. छोटीदेवी
5. धनी देवी
6. नानी देवी

पुत्रगण/पुत्रियां स्व. बुधरदास जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर हाल महाजन तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादीगण—

8. राधा पत्नी स्व. भीखदास
9. डूंगरदास पुत्र स्व. भीखदास
10. गणपति
11. चूकी
12. हड़मान

पुत्र/पुत्रियां स्व. मानदास

जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—गौण प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. वदीगण अनुपस्थित एकतरफा कार्यवाही।
2. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीए व धारा 136एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से दावा निम्न प्रकार से सादर प्रस्तुत है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता स्व. बुधरदास व गौण प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 की संयुक्त खातेदारी का एक खेत खसरा नम्बर 794 तादादी 30 बीघा 17 बिस्वा वाकेरोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहा है जिसमें 1/3 हिस्से की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादी 8, 9 के नाम से, 1/3 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता बुधरदास के नाम से तथा 1/3 हिस्से की खातेदारी गौण प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 व अमरावती पत्नी स्व. मानदास के नाम से थी। अमरावती पत्नी मानदास की मृत्यु हो चुकी है। खसरा नम्बर 794 के कालान्तर में खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर कायम हो चुके है। खसरा नम्बर 794 के 1/3 हिस्से के खातेदार बुधरदास (प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता) ने अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1991 को वादीगण को विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा वादीगण को सौंप दिया तब से वादगत खेत के अपने स्वयं के 1/6 हिस्से व अपने खरीद शुदा 1/3 हिस्से यानि कुल 1/2 हिस्से पर वादीगण ही काश्त करते आ रहे है। आज भी वादगत खेत पर वादीगण का 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का वादगत खेत पर कोई काश्त काश्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 गांव महाजन तहसील लूनकरणसर में रहते है। पंजीयन विभाग से विक्रय पत्र की एक प्रति इन्तकाल दर्ज करने हेतु राजस्व विभाग (तहसीलदार)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

को चली जाती है जहां से भूअभिलेख शाखा द्वारा सम्बन्धित पटवारी को इन्तकाल दर्ज करने हेतु दे दी जाती है । वादीगण के मामले में भी ऐसा हुआ होगा फिर भी वादीगण ने विक्रय पत्र की एक प्रति तत्कालीन पटवारी हल्का को दे दी थी जिसने विक्रय पत्र के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। इस वर्ष वादीगण ने सोचा कि सभी लोग के.सी.सी. करवाते है तो अपन भी के.सी.सी. करवा लेते है तो वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व राजस्व रेकार्ड की नकले दिनांक 26.11.2014 को निकलवाई तो वादीगण को ज्ञात हुआ कि वादीगण को वादगत खेत में 1/3 हिस्से को विक्रय करने वाले बुधरदास की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के बाद विरास्तन इन्तकाल सं. 603 दिनांक 20.11.2014 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के नाम दर्ज हो चुका है । प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को पूर्णतया ज्ञात था कि खेत खसरा नम्बर 794 वर्तमान खसरा नम्बर 1092 की 1/3 हिस्सा भूमि बुधरदास स्वामी द्वारा वादीगण को बेची जा चुकी है तथा इस भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है फिर भी प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने हल्का पटवारी से सांठ गांठ कर पहले से विक्रीत जमीन को अपने मालिकाने की बताकर गलत रूप से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल सं. 603 दिनांकित 20.11.2014 दर्ज करवा लिया जो शुरू से ही अवैध, शून्य व निष्प्रभावी दस्तावेज है । वादीगण उक्त इन्तकाल सं. 603 को अवैध, शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने व उक्त इन्तकाल से दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के कानूनन अधिकारी है जिसके लिए घोषणात्मक अनुतोष बाबत दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 6 से दिनांक 26.11.2014 को निवेदन किया कि वादगत खेत में आप लोगों के नाम 1/3 हिस्से की खातेदारी गलत रूप से दर्ज हो गई है, इस भूमि को हम वादीगण ने आपके पिता स्व. बुधरदास से खरीद कर रखी है इसलिए आप 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी हम वादीगण के नाम तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ में चलकर दर्ज करवा देंवे व रिकार्ड को दुरूस्त करवा देवें तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने स्पष्ट मना कर दिया व वादगत खेत को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल करने की धमकियां दी । वादगत खेत खसरा नम्बर 794 जिसके नये खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता बुधरदास का 1/3 हिस्सा था । खातेदार बुधरदास ने अपने 1/3 हिस्सा भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण को विक्रय कर दिया। खातेदार बुधरदास की मृत्यु होने पर उक्त खेत की 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के नाम गलत रूप से दर्ज हुई है जबकि मौका पर प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का कोई कब्जा काश्त नहीं है । उक्त खसरा भूमि में वादीगण का स्वयं का 1/6 हिस्सा भूमि व वादीगण की खरीद शुदा 1/3 हिस्सा भूमि इस प्रकार कुल 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी चाहिए थी। राजस्व रिकार्ड में हुए गलत इन्द्राज को वादीगण दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी है जिसके लिए यह रिकार्ड दुरूस्ती का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 वादगत खेत की खातेदारी में दर्ज अपने नाम का बेजा फायदा उठाकर वादगत खेत को विक्रय, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुन्तकिल आदि करने व वादगत खेत से वादीगण को बेदखल करने की धमकियां दे रहे है । वादीगण सीधे सादे व कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है । वादीगण के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादीगण के द्वारा वादगत खेत में उनके खरीद शुदा 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कराने से प्रतिवादीगण ने दिनांक 26.11.2014 को स्पष्ट मना किया है जबकि वादगत खेत में से स्व. बुधरदास ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 16.12.1991 के द्वारा वादीगण को विक्रय कर दिया था जिसकी जानकारी प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को शुरू से ही है परन्तु प्रतिवादीगण के मनमें बेईमानी आ गई है तथा वादीगण को उनके हिस्से से बेदखल कर खुद कब्जा करने व विक्रय, हस्तान्तरण करने की धमकियां दी है। इसी दिनांक से वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

वाद हेतु प्राप्त है तथा वादीगण का वादगत खेत में 1/3 हिस्सा भूमि खरीद शुदा होने व वादगत खेत में अपना खुद का 1/6 हिस्सा की खातेदारी होने के कारण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार प्राप्त है। दावा कृषि भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है । कृषि भूमि का लैण्ड लोर्ड स्टेट होता है जो दावा में आवश्यक पक्षकार है। स्टेट के विरूद्ध दावा पेश करने हेतु 2 माह का नोटिस देने का विधान है। अगर दो माह का नोटिस देकर दावा पेश किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण को वादगत खेत से बेदखल कर देंगे । वादगत खेत को विक्रय कर देंगे जिससे वादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। वाद बाहुलता बढेगी। वादीगण का दावा अर्जेन्ट नेचर का है इसलिए धारा 80 (2) सी.पी. सी. के तहत नोटिस की अनिवार्यता से छूट हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर छूट प्राप्त कर दावा पेश किया जा रहा है। गौण प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वादगत खेत के संयुक्त खातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा ग्राम उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। दावा घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का पेश कर अनुतोष चाहा।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। गौण प्रतिवादी संख्या 8 ता 12 वाद मे फोरमल पक्षकार होने के कारण वादी पक्ष द्वारा इनकी तलबी बन्द करनें का निवेदन किया गया जिस पर गौण प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 की दिनांक 21.02.2018 को तलबी बन्द की गई। वादी अधिवक्ता को जवाबप्रतिदावा पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाबप्रतिदावा पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 21.02.2018 को जवाबप्रतिदावा पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। तनकीयात कायम की गई।

बहस एकतरफा सुनी गई। पत्रावली एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी अधिवक्ता (प्रतिदावा प्रस्तुतकर्ता) ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादगंत वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर रोही उदरासर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पुश्तैनी कृषि भूमि है । उक्त भूमि सम्वत् 2010 में प्रतिवादीगण, वादीगण के दादा लालदास पुत्र हीरदास जाति स्वामी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 521 तादादी 28 बीघा 05 बिस्वा के रूप में दर्ज थी। उक्त खसरा भूमि विरास्तन लालदास के वारिसान भीखदास (वादीगण, प्रतिवादी सं. 8, 9 के पिता/पति) मानदास (गौण प्रतिवादी सं. 10 ता 12 के पिता) बुधरदास (प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। सम्वत् 2016 में उक्त भूमि के खसरा नम्बर 794 तादादी 30 बीघा 17 बिस्वा (खसरा नम्बर 521, 513, 520, 514 सम्वत् 2016) राजस्व रिकार्ड में भीखदास, मानदास व बुधरदास के नाम बराबर बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि अमल दरामद की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने पिता बुधरदास के जीवनकाल में वादगत खसरा भूमि पर 1/3 हिस्सा भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता बुधरदास व ताऊ भीखदास व मानदास सम्वत् 2030 में अलग अलग हो गये तथा वादगत खसरा भूमि में अपने अपने हिस्से का मौका पर विभाजन कर मौका पर कब्जा काश्त अलग अलग करवा लिया। वादीगण द्वारा बताया जा रहा कथित विक्रय पत्र दिनांकित 16.12.1991 फर्जी, बनावटी दस्तावेज है। प्रतिवादीगण के पिता बुधरदास पुत्र लालदास स्वामी द्वारा वादगत खसरा भूमि के सम्बन्ध में 1/3 हिस्सा भूमि का कोई विक्रय पत्र वादीगण के पक्ष में तकमील तस्दीद करवाकर निष्पादित नहीं करवाया गया, दोयम वादगत खसरा भूमि में बुधरदास को 1/3 हिस्सा भूमि का विक्रय पत्र तस्दीक निष्पादन करवाने का अधिकार भी नहीं था। वादगत खसरा भूमि प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें **By Birth** उनका हक हिस्सा निहित हुआ है। कथित विक्रय पत्र से ही प्रतिवादी सं. 1

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

ता 6 के हक हिस्से हकुकों के साथ शून्य, निष्प्रभवी विधि विरूद्ध दस्तावेज है। वर्तमान खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर भूमि रोही उदरासर में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का संयुक्त 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है । प्रतिवादीगण ने वादीगण व अन्य सहखातेदार से वादगत खसरा भूमि का खाता विभाजन मौका पर कब्जा काश्त अनुसार करवाने का निवेदन दिनांक 26.11.2014 को किया तो वादीगण व अन्य सहखातेदारान ने कहा कि कुछ समय बाद हम खातेदार अपना खाता मौका कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करवा लेंगे। दिनांक 15.12.2015 को प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पास उक्त वाद पत्र के नोटिस गये तो प्रतिवादीगण वादीगण व अन्य सहखातेदारों को ओलमा दिया तो वादीगण ने प्रथम बार बताया कि तुम्हारे पिता बुधरदास ने वादगत खसरा भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि हमें विक्रय की थी, अब हम तुम्हें इस बार खेत काश्त करने नहीं देंगे तथा कथित विक्रय पत्र के आधार पर हम खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाकर रहेंगे। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 वादगत खसरा भूमि के खातेदार भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है जिन्हें अपने हक हिस्से के लिए वादीगण के विरूद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत करने का आधार प्राप्त है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को प्रतिदावा का आधार व कारण वादीगण को दिनांक 15.12.2015 को प्राप्त हुआ है। वादीगण ने कथित विक्रय पत्र दिनांकित 16.11.1991 के आधार पर गलत रूप से वादगत खसरा भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का दावा प्रस्तुत किया है। कथित विक्रय पत्र 24 वर्ष पुराना है जो कि शुरू से ही फर्जी, बनावटी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पुश्तेनी हक हकुकों के समक्ष शून्य, निष्प्रभावी दस्तावेज है। प्रतिवादीगण ने कथित गलत, बनावटी विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का निवेदन वादीगण से दिनांक 17.12.2015 को किया तो वादीगण ने कहा कि इस विक्रय पत्र की आड़ में हम तुम्हें तुम्हारे हक हिस्सा से वंचित कर भूमि पर कब्जा करके ही रहेंगे। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 कथित फर्जी, बनावटी विक्रय पत्र को अपने पुश्तेनी हक हकुकों के समक्ष से ही शून्य, निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है। वादगत खसरा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने 1/3 हिस्से पर अपने पिता बुधरदास के जीवनकाल से काबिज है । वादीगण येन–केन प्रकारेण प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को उनके खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल कर अपना कब्जा करने की फिराक में है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 6 अपने कब्जा काश्त की भूमि पर वादीगण के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने कथित विक्रय पत्र दिनांकित 16.11.1991 के आधार पर माननीय न्यायालय से वादगत खसरा भूमि में कुल 1/2 हिस्सा भूमि की खातेदारी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है। कथित विक्रय पत्र के 24 वर्ष बाद उक्त दावा गलत रूप से विधि विरूद्ध बाद मियाद क्षेत्राधिकार से बाहर का प्रस्तुत किया गया है। कथित विक्रय पत्र फर्जी, बनावटी तैयार किया गया है प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के पिता बुधरदास पुत्र लालदास स्वामी निवासी सूरजनसर द्वारा कोई विक्रय पत्र दिनांक 16.11.1991 को वादगत खसरा भूमि बाबत तस्दीक व निष्पादित नहीं करवाया गया । वादीगण ने उक्त दस्तावेज को पंजीयन करने वाले अधिकारी व कार्यालय को पक्षकार जानबूझकर नहीं बनाया है जबकि कथित विक्रय पत्र को पंजीयन करने वाला कार्यालय वाद का आवश्यक पक्षकार है। वादीगण का दावा पक्षकारों के असंयोजन के आधार पर काबिले खारिज है एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 का प्रतिदावा डिक्री फरमाया जावे –

हमने वादीगण अधिवक्ता (प्रतिदावा प्रस्तुतकर्ता) की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दावे का जवाब मय प्रतिदावा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 09.02.2015 को प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा जवाब प्रतिदावा 03 वर्ष तक पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 21.02.2018 को जवाबप्रतिदावा पेश करनें का अवसर बन्द किया गया इस पश्चात् वादी पक्ष द्वारा साक्ष्यवादी हेतु अवसर चाहा गया व साक्ष्य वादी में दिनांक 18.12.2019 को शपथ पत्र वादी तिलोकदास का पेश हुआ। शपथ पत्र पेश होन के बाद

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वादी जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद साक्ष्यवादी दिनांक 08.07.2022 को बन्द की गई व साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई। वादी व वादी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर लम्बे समय से उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 07.05.2024 को वादीगण का वाद अदम पैरवी/ अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। पत्रावली में बहस अन्तिम एकतरफा सुनी गई। तद्उपरान्त तनकीवार विवेचन किया जा रहा हैः–

तनकी संख्या–01 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1092 ग्राम उदरासर वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी है?

– जिम्मे वादी–

तनकी संख्या–02 आया वादग्रस्त भूमि खसर नंबर 1092 ग्राम उदरासर वादी खातेदारी घोषणा का अधिकारी नहीं है?

– जिम्मे प्रतिवादी–

उपरोक्त तनकी संख्या 1 व 2 समानान्तर अनुतोष के लिये वादी व प्रतिवादीगण के जिम्मे है तनकी संख्या 01 को सिद्ध करनें का भार वादी का था वादी द्वारा उपरोक्त तनकी कें संबंधमें कोई साक्ष्या पेश नही की। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1991 के आधार पर वादगत खसरा भूमि में 1/3 हिस्सा की भूमि की खातेदारी घोषित करवानें का अनुतोष चाहा था। पत्रावली पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश –01 व 2 के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि वादगत खसरा भूमि प्रतिवादीगण के दादा लालदास की खातेदारी होने पर यह भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा में उक्त विक्रय पत्र को पैतृक हक हिस्से के आधार पर चुनौती दी गई है। चूंकि वादगत भूमि प्रर्दश 01, 2 व प्रर्दश 7 दस्तावेजो से प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि साबित हुई है, इसलिए वादगत खसरा भूमि बाबत् विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1991 के आधार पर चाहा गया अनुतोष की तनकी वादी साबित नहीं कर पाया है इसलिए यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित कर प्रतिवादीगण के प्रतिदावे के अनुतोष के लिए साबित हुई है। तनकी संख्या 2 के संबंध में प्रतिवादीगण राजकुमार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर सशपथ बयान कर राजस्व दस्तावेज प्रर्दश 1 ता 7 प्रर्दशित करवाये गये। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादगत खसरा भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के दादा लालदास के नाम रही है। प्रर्दश 2 के अनुसार खातदेारी लालदास के नाम है तथा खातेदार लालदास के वारिसान के नाम संवत 2016 में खातेदारी का दस्तावेज प्रर्दश 1 पेश है तथा प्रतिवादीगण के पिता बुधरदास को जो हिस्सा विरासतन प्राप्त हुआ जिसका इन्तकाल प्रतिवादीगण के नाम विरासतन इन्तकाल संख्या 603 दिनांक 20.11.2014 को ग्राम पंचायत बैठक में स्वीकृत हुआ है। वादीगण द्वारा उक्त इन्तकाल संख्या 603 की कोई अपील पेश नहीं की गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 8 विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1991 में वर्णित बिक्रित कृषि भूमि प्रतिवादीगण की पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि होना प्रमाणित है। जिस संबंध में बुधरदास को वादगत खसरा भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि का कोई अधिकार प्रतिवादीगण के हक हिस्सो के रहते प्राप्त नही था। इसलिए उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादगण को उनके हक हिस्से से वंचित नहीं किया जात सकता। इसलिए यह दस्तावेज प्रतिवादीगण के जन्म से पुश्तैनी हक अधिकारों के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। जो कि प्रतिवादीगण के हक हकूको के समक्ष शून्य, निष्प्रभावी घोषित किये जाने योग्य है। इस आधार पर प्रतिवादीगण के अपने जिम्मे तनकी संख्या 2 को पूर्ण रूप से साबित कर पाये है तथा तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या–03 आया वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1092 ग्राम उदरासर में प्रतिवादी खातेदारी विभाजन का अधिकारी है?

– जिम्मे प्रतिवादीगण–

उपरोक्त तनकी को सिद्ध करनें का भार प्रतिवादीगण का है पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज प्रर्दश 1 ता 7 प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि संबंधित है जो कि वर्तमान खसरा नंबर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ के दस्तावेज है। जमांबन्दी सम्वत 2068 से

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

2071 प्रदर्श 7 में प्रतिवादीगण के नाम 1/3 हिस्सा भूमि की खातेदारी इन्तकाल संख्या 603 के जरिये दर्ज हुई है। विचाराधीन वाद में गौण प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 वर्तमान खसरा नंबर 1092 में प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में चले आ रहे है। तनकी संख्या 3 विभाजन के संबंध में है। विचाराधीन वाद में प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 प्रतिवादीगण के विभाजन बाबत अनुतोष बाबत आपति पेश नहीं की। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 12 को वादी ने गौण प्रतिवादीगण पक्षकार संयोजित किया गया था, इसलिए उनके हक हिस्से की भूमि के विभाजन को लेकर प्रतिदावा निर्णित किया जाता है तथा तनकी संख्या 3 प्रतिवादीगण द्वारा साबित की गई है। तनकी संख्या 3 के संबंध में प्रतिवादीगण के 1/3 हिस्सा भूमि का विभाजन करने के आदेश इस निर्देश के साथ दिया जाता है कि वादगत खसरा भूमि के सह खातेदारों का खाता विभाजन नियमानुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए प्रस्ताव मंगवाया जावें। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 794 तादादी 30 बीघा 17 बीस्वा वर्तमान खेत खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर से संबंधित 1/3 हिस्सा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1191 जो बुधरदास द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है जो कि पंजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 98 क्रम संख्या 863 पृष्ठ संख्या 110 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 98ए पर दर्ज है को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पुश्तैनी हक हकूको के समक्ष शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। इस आश्य का नोट पंजीयन कार्यालय में उक्त विक्रय पत्र पर अंकित किया जावे तथा वादगत खसरा भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1092 तादादी 7.80 हेक्टेयर रोही उदरासरत तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का 1/3 हिस्से भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड व अक्स में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें एवं वादीगण को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के 1/3 हिस्सा भूमि को किसी को भी विक्रय, दान, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुंतकिल नहीं करें, ना ही प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को उसके खातेदारी अधिकारों की भूमि से बेदखल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रतिवादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ़

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

1.औंकारदास 2. तिलोकदास पुत्रगण भीखदास जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादीगण—

बनाम

1. शंकरलाल
2. राजकुमार
3. ऊंकार
4. छोटीदेवी
5. धनी देवी
6. नानी देवी

पुत्रगण/पुत्रियां स्व. बुधरदास जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर हाल महाजन तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़

—प्रतिवादीगण—

8. राधा पत्नी स्व. भीखदास
9. डूंगरदास पुत्र स्व. भीखदास
10. गणपति
11. चूकी
12. हड़मान

(10–12) पुत्र/पुत्रियां स्व. मानदास

जाति स्वामी निवासीगण सूरजनसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—गौण प्रतिवादीगण—

मुकदमा नम्बर 134/2014

दावा बाबतः घोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 05.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी एकतरफा कार्यवाही अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से ललित कुमार मारू मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 794 तादादी 30 बीघा 17 बीस्वा वर्तमनान खेत खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर से संबंधित 1/3 हिस्सा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 16.12.1191 जो बुधरदास द्वारा वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवाया गया है जो कि पंजीयन कार्यालय श्रीडूंगरगढ में पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 98 क्रम संख्या 863 पृष्ठ संख्या 110 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 98ए पर दर्ज है को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पुश्तैनी हक हकूको के समक्ष शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। इस आश्य का नोट पंजीयन कार्यालय में उक्त विक्रय पत्र पर अंकित किया जावे तथा वादगत खसरा भूमि वर्तमान खसरा नंबर 1092 तादादी 7.80 हेक्टेयर रोही उदरासरत तहसील श्रीडूंगरगढ की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का 1/3 हिस्से भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व रिकार्ड व अक्स में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार विभाजन के नियम 18 से 21 की पालना करतें हुए वादी एवं प्रतिवादीगण की आने जाने की सुविधा को ध्यान में रखतें हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें एवं वादीगण को चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता है कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 1092 तादादी 7.80 हैक्टेयर वाकेरोही उदरासर में प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के 1/3 हिस्सा भूमि को किसी को भी विक्रय, दान, रहन, बैय दीगर प्रकार से मुंतकिल नहीं करें, ना ही प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को उसके खातेदारी अधिकारों की भूमि से बेदखल करें ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करें जिससे प्रतिवादीगण के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो। हर्जा खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक [illegible] सन् 2025 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.04.07 11:02:44 IST
Reason: SelfAttested